सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकःएफ.4( )पराविं / जिआ / DPC / 2014–15 / 242 जयपुर, दिनांकः 3-3-2015

जिला कलेक्टर,
जिला– समस्त।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद– समस्त।

विषयः– जिला आयोजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन।

संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में प्रत्येक जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 121 में तद्नुसार जिला आयोजना समिति के गठन का प्राधान किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350, 351 एवं 352 में जिला आयोजना समिति के गठन, निर्वाचन तथा शक्तियों एवं कृत्यों का विस्तार से प्रावधान किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350 के प्रावधानानुसार अधिनियम की धारा 121 में यथा परिकल्पित जिला आयोजना समिति में कुल 25 सदस्य है। इनमें से 20 सदस्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से उनके द्वारा निर्वाचित किये जाने है जिलेवार ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या व तद्नुसार निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या परिशिष्ठ--1 में संलग्न है। माह जनवरी एवं फरवरी 2015 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके है। जिला आयोजना समितियों का पुनर्गठन करने हेतु 20 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है।

परिशिष्ठ–1 में उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु निर्वाचक मण्डल में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य होगें अर्थात इस समिति में ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये एक ग्रामीण निर्वाचक मण्डल होगा जिसमें जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होगें तथा सदस्यों का चुनाव इन्ही निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से किया जायेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचित हेतु एक शहरी निर्वाचक मण्डल होगा। जिसमें जिले की समस्त नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होगें।

D:\K-New D Planning\Ratan Lal Sharma\Letter.docx

सदस्यों का निर्वाचन उसी रीति से होगा जैसा कि पंचायत समितियों और जिला परिषद की स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होगा। निर्वाचन हेतु बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद/नामांकित अधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसा नांकित अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर के पद से कम का नही होगा। आगे इस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के नाम से सम्बोधित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीठासीन अधिकारी की सहायता करेगा तथा ऐसी बैठक जिला परिषद के कार्यालय में आयोजित की जायेगी।

ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों के निर्वाचन हेतु आयोजित बैठक के दिनांक और समय की सूचना कम से कम पूरे 7 दिन पहले जिला परिषद/नगर निकायों के निर्वाचन सदस्यों को दी जायेगी।

ऐसी सूचना से निम्नलिखित वर्णन होगाः–

1. वह स्थान और दिनांक तथा वह समय जिसके बीच मनोनयन पत्र दाखिल किया जायेगा।
2. वह स्थान और दिनांक तथा वह समय जिसके बीच मनोनयन पत्रों की जाँच की जायेगी।
3. वह स्थान और दिनांक तथा वह समय जिसके बीच मनोनयन पत्रों को वापिस लिया जा सकेगें।
4. वह स्थान और दिनांक तथा वह समय जिसके बीच सदस्यों के लिये मत लिये जायेगें यदि मतदान हो।

बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को जो निर्वाचन में भाग लेने योग्य हो रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा विशेष वाहक द्वारा तामिल कराई जायेगी। बैठक की सूचना जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित कराई जायेगी। क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों के चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 01 मार्च, 2015 से प्रारम्भ कर 15 मार्च, 2015 तक पूर्ण कर ली जावे।

प्रत्येक उम्मीदवार अनुसूची–11 में निर्धारित प्रपत्र में नाम निर्देशन पत्र भरकर पेश करेगा। इस पर दो निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किये जायेगे और उम्मीदवार निर्वाचन के लिये अपनी सहमति प्रकट करते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। ऐसा नाम निर्देशन पत्र सूचना में भेजे गये दिनांक को निर्धारित समय के अन्दर किया जावेगा। बाद में पेश किये गये नाम निर्देशन पत्रों पर विचार नही होगा।

मनोनयन पत्रों की जाँच के बाद ठीक पाये गये मनोनीत उम्मीदवारों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जावेगी। जो अनुसूची–111 में होगी। सूचना में निर्धारित समय तक कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी लिखित में सूचना देकर वापिस ले सकता है।

शेष बचे उम्मीदवारों की संख्या यदि परिशिष्ट–1 में निवार्चित संख्या के बराबर हो, तो एसे सभी उम्मीदवारों को जिला आयोजना समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या कम हो तो शेष बचे सदस्यों के निर्वाचन हेतु अगली तारीख घोषित की जावेगी। यदि उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होगा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों के मत लिये जायेगे। अधिकतम प्राप्त पत्रों की संख्या के आधार पर निर्धारित संख्या में सदस्य निर्वाचित घोषित किये जायेगें व उनकी सूची नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जायेगी। उम्मीदवारों द्वारा बराबर मत प्राप्त करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी लाटरी द्वारा निर्वाचित सदस्य तय करेगे। एक भी मत प्राप्त नही करने वाले अभ्यार्थियों के मध्य लाटरी नही होगी।

उपरोक्तानुसार ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में परिशिष्ठ–1 में अंकितानुसार सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पादित की जावे तथा विभाग को अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव (विधि) मुख्यालय।
5. मुख्य आयोजना अधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला आयोजना समिति, जिला–समस्त।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना

अनुसूची– 11

नाम निदेशन पत्र (जिला आयोजना समिति के सदस्य हेतु)

1. जिले का नाम:
2. उम्मीदवार का पूरा नाम:
3. पिता या पति का नाम:
4. आयु:
5. स्त्री या पुरूष:
6. पता:
7. प्रस्तावक का पूरा नाम व पता:
8. समर्थक का पूरा नाम व पता:

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
दिनांक:
स्थान:

समर्थक के हस्ताक्षर
दिनांक:
स्थान:

उम्मीदवार की घाषणा

मैं उपरोक्त नाम का उम्मीदवार इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।
मै एतद् द्वारा यह घोषणा भी करता हूँ कि मुझमें अधिनियम में वर्णित कोई निरर्हताएं नही है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में जिला आयोजना समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य हूँ।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

क्रमांक **दिनांक**

यह नाम निर्देशन पत्र श्री..... द्वारा दिनांक..... को.....बजे मुझे प्रस्तुत किया गया।

स्वीकृत/अस्वीकृत
अस्वीकृति का कारण

पीठासीन अधिकारी
दिनांक

अनुसूची--111

जिला आयोजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूची

क्रं.सं	उम्मीदवार का नाम तथा पता	विवरण	नगरीय क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र

पीठासीन अधिकारी

दिनांक:
स्थान

परिशिष्ट–1

क्र.सं.	जिला	जनसंख्या वर्ष 2011			निर्वाचन हेतु सदस्यो की संख्या	
		कुल जनसंख्या	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	अजमेर	2583052	1547642	1035410	12	8
2	अलवर	3674179	3019728	654451	16	4
3	बारां	1222755	968541	254214	16	4
4	बांसवाडा	1797485	1669864	127621	19	1
5	बाडमेर	2603751	2421914	181837	19	1
6	भरतपुर	2548462	2053363	495099	16	4
7	भीलवाडा	2408523	1895869	512654	16	4
8	बीकानेर	2363937	1563553	800384	13	7
9	बूदी	1110906	888205	222701	16	4
10	चित्तौडगढ	1544338	1259074	285264	16	4
11	चुरू	2039547	1463312	576235	14	6
12	दौसा	1634409	1432616	201793	18	2
13	धौलपुर	1206516	959066	247450	16	4
14	डूँगरपुर	1388552	1299809	88743	19	1
15	हनुमानगढ	1774692	1424228	350464	16	4
16	गंगानगर	1969168	1433736	535432	15	5
17	जयपुर	6626178	3154331	3471847	10	10
18	जेसलमेर	669919	580894	89025	17	3
19	जालौर	1828730	1676975	151755	18	2
20	झालावाड	1411129	1181838	229291	17	3
21	झुन्झुनु	2137045	1647966	489079	15	5
22	जोधपुर	3687165	2422551	1264614	13	7
23	करौली	1458248	1240143	218105	17	3
24	कोटा	1951014	774410	1176604	8	12
25	नागौर	3307743	2670539	637204	16	4
26	पाली	2037573	1577567	460006	15	5
27	राजसमन्द	1156597	972777	183820	17	3
28	सवाईमाधोपुर	1335551	1069084	266467	16	4
29	सीकर	2677333	2043427	633906	15	5
30	सिरोही	1036346	827692	208654	16	4
31	टोंक	1421326	1103603	317723	16	4
32	उदयपुर	3068420	2459994	608426	16	4
33	प्रतापगढ	867848	796041	71807	18	2
	राजस्थान	68548437	51500352	17048085	517	143